अभियंता प्रमुख का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सकारण आदेश

संवेदक संवेदक Rohit Kumar, (निबंधन सं0–1190493), At-Shankar Saraiya, Pipariya, P.O-Turkauliya, Dist-East Champaran, Bihar, Pin-845437 को **कार्य प्रमण्डल, चकिया के अधीन MMGSY(Gen.)** अन्तर्गत **Bhola Baitha ke Ghar Darwaje to Madan Yadav ke Ghar hote hue Patkhauliya** तक पथ का निर्माण कार्य आवंटित था, जिसका एकरारनामा संख्या–42SBD/2019-2020 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि–16.02.2020 एवं कार्य समाप्ति की तिथि–15.02.2021 है।

उक्त पथ का निर्माण कार्य एकरारनामा के अनुसार निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, चकिया एवं अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा बार–बार निदेशित करने के बाद भी **संवेदक Rohit Kumar** द्वारा उक्त कार्य में कोई प्रगति नहीं किया गया है। पुनः कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, चकिया ने अपने ज्ञापांक–2179 अनु0 दिनांक–14.12.2023 द्वारा एकरारनामा संख्या–42SBD/2019-2020 को विखंडित कर दिया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, चकिया के पत्रांक–2235 अनु0 दिनांक–16.12.2023 एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी के पत्रांक–1593 अनु0 दिनांक–16.12.2023 द्वारा उक्त संवेदक के **निबंधन सं0–1190493** को कालीसूची में शामिल करने हेतु अनुशंसा की गई।

उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–770 दिनांक–12.02.2024 द्वारा पन्द्रह दिनों के अंदर संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। अपेक्षित समय बीत जाने के बाद भी संवेदक द्वारा अपना पक्ष समर्पित नहीं किया गया। पुनः विभागीय पत्रांक–1855 दिनांक–09.05.2024 द्वारा स्मारित किया गया, फिर भी उक्त संवेदक द्वारा अपना पक्ष समर्पित नहीं किया गया। फिर विभागीय पत्रांक–2661 दिनांक–08.08.2024 द्वारा संवेदक को अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम रूप से स्मारित किया गया, फिर भी संवेदक द्वारा अपना पक्ष विभाग को समर्पित नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि संवेदक को इसके बारे में कुछ नहीं कहना है।

अतएव विभागीय समीक्षोपरान्त बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली–2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना सं0–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका 11(क)(VI) के आलोक में संवेदक **Rohit Kumar,** At-Shankar Saraiya, Pipariya, P.O-Turkauliya, Dist-East Champaran, Bihar, Pin-845437 के **(निबंधन सं0–1190493)** को अगले 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

13/10/24

(श्रीप्रकाश)
अभियंता प्रमुख

298

ज्ञापांकः—मु0अ0—4(मु0)कालीसूची—10—21/2024 -3233 /पटना, दिनांकः—16/10/2024

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/उर्जा विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/10/24

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः—मु0अ0—4(मु0)कालीसूची—10—21/2024 -3233 /पटना, दिनांकः—16/10/2024

प्रतिलिपिः—सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/10/24

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः—मु0अ0—4(मु0)कालीसूची—10—21/2024 -3233 /पटना, दिनांकः—16/10/2024

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/10/24

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः—मु0अ0—4(मु0)कालीसूची—10—21/2024 3233 /पटना, दिनांकः—16/10/2024

प्रतिलिपिः—**संवेदक संवेदक Rohit Kumar, (निबंधन सं0—1190493)**, At-Shankar Saraiya, Pipariya, P.O-Turkauliya, Dist-East Champaran, Bihar, Pin-845437 को सूचनार्थ प्रेषित।

15/10/24

अभियंता प्रमुख